उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिवीजन वाद संख्या–01/2022

प्रधान केशव नारायण सिंह बनाम् झारखण्ड राज्य एवं निरज कुमार

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग: कार्रवाई के बारे ᵻ टिप्पणी तारीख
23/02/24	इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी प्रधान केशव नारायण सिंह, पिता–स्व० मनबोध सिंह, निवास ग्राम–बनखेता, थाना–रामगढ़, जिला–रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–45/2021–22 निरज कुमार बनाम् अंचल अधिकारी, रामगढ़ में दिनांक–20.09.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 16 of Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Records) Act-1973 के तहत् प्रारम्भ किया गया। वाद को अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख की माँग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–बनखेता, थाना सं०–95 थाना–रामगढ़ के खाता सं०–31 प्लॉट नं०–1126, रकवा–1.00 ए० भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं, सरकारी अधिवक्ता को सुना, समर्पित आवेदन/कारण पृच्छा, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, उनके द्वारा समर्पित आवेदन, कारण पृच्छा एवं कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–बनखेता, थाना सं०–95 थाना–रामगढ़ के खाता सं०–31 प्लॉट नं०–1126, रकवा–1.00 ए० भूमि बकास्त खाते की भूमि है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा गलत आदेश पारित किया गया है। जबकि अंचल अधिकारी, रामगढ़ के द्वारा दाखिल खारिज अस्वीकृत किया गया है। मुलतः उक्त भूमि खतियान में दल गोविन्द सिंह के नाम से दर्ज है। उनके द्वारा उक्त भूमि का हस्तांतरण ठाकुर देवनाथ सिंह पिता–स्व० घासी सिंह ग्राम–खटंगा, थाना–ओरमांझी जिला–राँची को निबंधित केवाला संख्या–728, दिनांक–19.07.1933 को किया गया। ठाकुर देवनाथ सिंह के मृत्यु के पश्चात उनकी विधवा देवबाला कुवारी उर्फ लखयाबाला ने निबंधित केवाला संख्या–895, दिनांक–12.09.1938 को मनबोध सिंह को बिक्री कर दिये। मनबोध सिंह के मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि आवेदक को प्राप्त हुई। एवं उनके नाम से पंजी–II में दर्ज होकर के लगान रसीद निर्गत होने लगा। उक्त पुरे भूमि पर उनके द्वारा पक्का बाउड्री एवं लोहा का गेट लगाकर शांतिपूर्ण दखल	

कब्जा में आये। दिनांक–30.10.2021 को आवेदक को एका–एक जानकारी हुई की भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा उक्त भूमि का दाखिल खारिज किसी अन्य व्यक्ति के नाम से गलत तरीके से कर दिया गया है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा पर्यवेक्षण किया गया कि बिन्दु देवी द्वारा बिक्री की गई भूमि जो ललित प्रकाश पिता–नागनारायण यादव ग्राम–बॉधगारी थाना–दीपाटोली पो०–बरियातु, जिला–राँची को बिक्री किया गया उसी बिक्री की गई भूमि को ललित प्रकाश द्वारा विपक्षी क्रमांक–02 निरज कुमार को भूमि हस्तांतरित की गई। लेकिन भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा यह जाँच नहीं किया गया कि बिन्दु देवी को उक्त भूमि कैसे प्राप्त हुआ। क्योंकि भूमि के वास्तविक मालिक दल गोविन्द सिंह के द्वारा निबंधित केवाला संख्या–728 दिनांक–19.07.1933 से ठाकुर देवनाथ सिंह को हस्तांतरित किया गया एवं ठाकुर देवनाथ सिंह की विधवा देवबाला कुवारी उर्फ लखयाबाला ने आवेदक केशन नारायण सिंह के पिता मनबोध सिंह को भूमि हस्तांतरित किया गया था। आवेदक के द्वारा उक्त भूमि के संबंध में किसी को भी भूमि हस्तांतरित नहीं किये है। विपक्षी द्वारा जाली कागजातों के सहारे भूमि प्राप्ति करने का दावा करते है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा अपीलार्थी को बिना पक्षकार बनाये ही दाखिल खारिज अपील स्वीकृत किया गया, जो नियमसंगत नहीं है। ज्ञातव्य हो कि अंचल अधिकारी, रामगढ़ के द्वारा पूर्व में ही दाखिल खारिज वाद संख्या–1032/19–20, दाखिल खारिज वाद संख्या–24/ 20–21, दाखिल खारिज वाद संख्या–962/20–21, दाखिल खारिज वाद संख्या–1240/20–21 को अस्वीकृत किया जा चुका है। फिर भी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा दाखिल खारिज अपील स्वीकृत किया गया, जो नियमसंगत नहीं है। उन्होनें भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–45/2021–22 में दिनांक–20.09.2021 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी क्रमांक–02 को इस न्यायलय में पक्ष रखने हेतु विधिवत नोटिस निर्गत किया गया। जिसमें विपक्षी क्रमांक–02 के पिता श्रेष्ठ नारायण झा द्वारा दिनांक–20.04.2022 को एक आवेदन दिया गया। इसमें कहा गया है कि, "श्रेष्ठ नारायण झा पिता नीरज कुमार जो इस वाद में एक पक्षकार है के तरफ से श्रीमान् को अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरा पुत्र नीरज कुमार झा दिनांक–24.01.2021 से लापता है जिसके कारण मैं सपरिवार इस वृद्धावस्था में बहुत ही व्यथीत एवं दुःखी हूँ। मैं अपने लड़के नीरज कुमार का काफी तलाश किया तदोपरांत दिनांक–27.01.2021 को नामकुम थाना में नीरज कुमार के गायब होने के संबंध में एक सनहा दिया। पुनः दिनांक–31.01.2021 को नामकुम थाना में अपने पुत्र के गायब होने का प्राथमिकी दर्ज कराया जिसका केस नामकुम थाना काण्ड संख्या–30/2021, दिनांक–31.01.2021 अन्दर दफा 364 भा०द०सं० के तहत दर्ज हुआ है जिसका अनुसंधान जारी है। मुझे शक है कि जमीन

माफिया षड़यंत्र रचकर मेरे पुत्र नीरज कुमार को आगवा कर लिए है। अतः श्रीमान् से करबद्ध प्रार्थना है कि उपरोक्त वाद संख्या–01/2022 की सुनवाई कुछ लम्बे समय तक टाल दी जाय ताकि मेरे पुत्र के मिलने पर वह इस वाद में अपना पक्ष रखते हुए न्याय संगत कार्रवाई कर सकें। इसके लिए मैं सपरिवार श्रीमान् का आजीवन आभारी रहूँगा।''

विपक्षी को काफी समय (मौका) देने के बावजूद भी वे न न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही उनके द्वारा किसी प्रकार कारण पृच्छा (जवाब) दाखिल किया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि उनको इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं है। इस लिए अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को बहस को सुना एवं आदेश पारित किया जा रहा है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि बकास्त खाते की भूमि है। विपक्षी को काफी मौका मिलने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए साथ ही साथ अंचल अधिकारी, रामगढ़ के द्वारा उक्त भूमि की दाखिल खारिज अस्वीकृति के बावजूद भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा दाखिल खारिज अपील स्वीकृत किया गया। जिसमें बकास्त भूमि से संबंधित मेनुअल को भी नजर अंदाज किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य के आलोक में स्पष्ट है कि मौजा–बनखेता, थाना सं०–95 थाना–रामगढ़ के खाता सं०–31 प्लॉट नं०–1126, रकवा–1.00 ए० भूमि बकास्त खाते की भूमि है। रिवीजनकर्ता का कहना है कि उक्त भूमि बिन्दु देवी बेचने का अधिकार नहीं है। जिसमें इस बात की जाँच भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा किये बिना दाखिल खारिज अपील स्वीकृत किये जाना नियमसंगत नहीं है साथ ही साथ अंचल अधिकारी, रामगढ़ के द्वारा उक्त भूमि का दाखिल खारिज अनेक बार अस्वीकृत किया जा चुका है। इस बात का संज्ञान निम्न न्यायलय द्वारा नहीं किया गया है। चूँकि भूमि बकास्त खाते की भूमि है इसलिए इसमें बिहार भूमि सुधार अधिनियम–1950 के धारा–5, 6 ,7 का भी निम्न न्यायालय के द्वारा नजर अंदाज किया गया है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–45/2021–22 निरज कुमार बनाम् अंचल अधिकारी, रामगढ़ में दिनांक–20.09.2021 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए रिवीजन आवेदन स्वीकृत किया जाता है। आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ को भेंजे।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2024.03.11 16:55:52 +05:30
Location: 192.168.169.197

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 23/02/24
उपायुक्त,
रामगढ़।

Chandan 23/02/24
उपायुक्त,
रामगढ़।